International Journal of Political Science and Governance 2020; 2(1): 16-17

E-ISSN: 2664-603X
P-ISSN: 2664-6021
IJPSG 2020; 2(1): 16-17
Received: 10-11-2019
Accepted: 14-12-2019

श्वेता सिंह
शोध छात्रा, आर्य कन्या डिग्री कालेज प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत।

Corresponding Author:
श्वेता सिंह
शोध छात्रा, आर्य कन्या डिग्री कालेज प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत।

भारत में पंचायती राजः सशक्त लोकतंत्र

श्वेता सिंह

सारांश
भारत में पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से एक मौन लोकतांत्रिक क्रांति हो रही है। ग्रामीण विकेन्द्रीकरण और पंचायती राज संस्थाओं द्वारा भारतीय ग्रामीण संस्थागत परिदृश्य में एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है जो अंततः ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए एक बेहतर विकल्प प्रदान कर रहा है। यह भारतीय लोकतंत्र को समावेशी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है।

मूल शब्द– पंचायती राज, लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण, सशक्त लोकतंत्र।

प्रस्तावना
राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने पंचायती राज की संकल्पना प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट किया था कि भारत के सात लाख गाँवों की आजादी के बगैर भारत की आज़ादी अधूरी है। पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार ने 73वाँ संविधान संशोधन किया। पंचायती राज के माध्यम से महिलाओं की नेतृत्व की क्षमताएं सामने आयी हैं। विभिन्न सामाजिक योजनाओं की प्रगति से गाँवों के सामाजिक–आर्थिक जीवन में काफी बदलाव हुआ है। पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से लाखों महिलाओं का जो लोकतांत्रिक प्रशिक्षण हो रहा है वह अन्ततः हमारी समग्र राजनीति के चरित्र को प्रभावित कर रहा है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि– ऐतिहासिक रुप से भारत में 'पंच परमेशवर' की अवधारणा व्याप्त थी। वैदिक काल में भी 'सभा' एवं 'समिति' जैसी संस्थाएं थी। स्वतंत्रता पश्चात् 1957 में बलवंत रांय मेहता समिति की रिपोर्ट के आधार पर 2 अक्टूबर, 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना की गयी। यद्यपि 1960 के दशक के मध्य से अन्य राज्यों में भी पंचायतें स्थापित की गयी। 1992 के 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया। संविधान में एक नया भाग–9 सम्मिलित किया गया साथ ही 11वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया।

पंचायती राज का सशक्तीकरण– भारतीय लोकतांत्रिक तंत्र में दो मौलिक परिवर्तन हुए हैं– (1) भारतीय राजनीति का लोकतांत्रिक आधार बढ़ गया है (2) इससे भारत के संघवाद में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं और जिला और निचले स्तर पर लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित स्थानीय सरकारों के साथ यह बहुस्तरीय संघ बन गया है। वर्ष 1992–1993 में ऐतिहासिक संवैधानिक संशोधन के परिणामस्वरुप राजनीतिक सशक्तिकरण का जो दौर शुरु हुआ, वह वास्तव में अभूतपूर्ण है। देश में ऐसी मजबूत पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की गई जो स्वयं का प्रबन्धन करने की क्षमता रखती हो और शासन संचालन में सक्षम हो। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के विचारों को संविधान में अभिव्यक्त करते हुए पंचायतों को नीति निर्देशक सिद्धांतों में स्थान दिया गया। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना की क्रियान्वयन किया जा रहा है। ई–पंचायत पुरस्कार एवं सर्वश्रेष्ठ पंचायत पुरस्कार से पंचायतों को प्रतिस्पर्धी बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

पंचायती राजः उपलब्धियां– भारत में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा अन्तिम व्यक्ति को विकास से जोड़ा जा रहा है। ग्रामीण विकास का वाहक बनकर स्वशासन की संस्थाएं गाँधी जी के सपनों को साकार कर रही है। ग्रामसभा जो एक संवैधानिक निकाय है, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। राज्य निर्वाचन आयोगों ने जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को काफी विश्वसनीयता प्रदान की है। महिलाओं ने बड़ी संख्या में सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया है। सार्वजनिक निधियों का कुशल उपयोग और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय और राज्य स्तर पर कई विस्तृत तंत्र है। आडिट के संस्थागत तंत्र व्याप्त हैं पंचायती राज व्यवस्था ने समाज के उपेक्षित वर्गों को आरक्षण के माध्यम से सशक्त करने का कार्य किया है।

पंचायती राजः चुनौतिया– भारत में कई राज्यों का स्थानीय सरकारों, संस्थानों के प्रति रवैया जिम्मेदारी पूर्ण नहीं था। पंचायती राज संस्थाओं में धन की कमी, कामकाज में स्पष्टता का अभाव और अपने कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं के नेतृत्व में एक समस्या 'प्रधानपति' जैसी अवधारणा है। जो परम्परागत मानसिकता का नेतृत्व करती है। केन्द्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को, अधिकारियों, नागरिक समाज के लोगों, राजनीतिक नेताओं को 'स्वशासन के संस्थानों' को कैसे विकास का केन्द्र बनाया जाय, इस दिशा में प्रयास करना होगा।

पंचायत की कार्यकुशलता सुधारने के प्रयास–

अब सरकार की कोशिश है कि पंचायती राज संस्थाओं को और अधिकार दिए जाएं जिससे यह न केवल वित्तीय रुप से मजबूत हो बल्कि बेहतर कामकाज के लिए प्रोत्साहित भी हो जिससे देश के आर्थिक विकास में गाँव ज्यादा–से'ज्यादा योगदान कर सकें। बेहतर जवाबदेही और प्रदर्शन की दिशा में स्थानीय नौकरशाही को स्थानीय पंचायती राज व्यवस्था की क्षमताओं के साथ समन्वय करना चाहिए। सेवा प्रदाताओं को निचले स्तर पर जवाबदेही में सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 'पंच परमेश्वर' योजना एवं तेलंगाना सरकार द्वारा 'ग्राम ज्योति' योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों को सशक्त और सुदृढ़ करना है जिससे सेवाएं बेहतर तरीके से प्रदान की जा सके।

निष्कर्ष–

पंचायती राज के माध्यम से पूरे देश में लोकतंत्र की जड़े गहरी हुई हैं। गाँवों के माध्यम से और उनके समग प्रभाव से स्थानीय स्तर पर प्रतिनिधित्ववादी संचालन के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ। समतामूलक प्रगति के लिए विकास के विकेन्द्रीकरण की धारणा सामने आई है। पंचायती राज व्यवस्था ने वास्तविक अर्थों में भारतीय लोकतंत्र का लोकतांत्रिकरण किया है। पंचायती राज ने ग्रामीण जनता को जागरूक एवं जवाबदेह बनाया है। आवश्यकता है भविष्य में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की चुनौतियों का समाधान कर, भारत के सामाजिक–आर्थिक विकास का आधार बनाने की दिशा में हम सभी को प्रयास करना चाहिए जिससे 73वें संविधान संशोधन के उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में मार्ग प्रशस्त हो।

संदर्भ

1. अग्रवाल पी0 (2009), भारत में पंचायती राज प्रभात प्रकाशन।
2. महीपाल (2015), पंचायती राज चुनौतियाँ एवं संभावनाएं नई दिल्ली, नेशनल बुक ट्रस्ट।
3. बंसल, वी., पंचायती राज में महिला भागीदारी कल्याण पब्लिकेशन।
4. लक्ष्मीकांत एम. (2020), भारत की राजव्यवस्था माइग्रा हिल एजूकेशन प्राइवेट लिमिटेड।
5. बसु., डी (2009), भारत का संविधान–एक परिचय, नई दिल्ली।
6. राबिन्सन, मार्क (2005): ए डिकेड ऑफ पंचायती राज रिफार्मेसः द चैलेंज ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेट्रलाइजेशन इन इण्डिया, नई दिल्ली।
7. महाजन एस. (2009): सामाजिक बदलाव के लिए शिक्षा, राष्ट्रीय पुस्तक न्याय, नई दिल्ली।
8. कुरुक्षेत्र, जुलाई, 2018 सूचना और प्रसारण मंत्रालय।